

क्र.सं.	दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से गणेश नारायण बनाम अजुनी	दिनांक
	03/04/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिकारिता एवं प्रतिवादी सं. 1 लगा 6 के अधिकार उपस्थित। तदखीलदार ककी द्वारा कुरेजात रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट प्रथम मूल प्र.पत्र की कि प्रार्थी द्वारा तदखीलदार ककी को प्रेषित किया हुआ प्रस्तुत कि गरी उक्त रिपोर्ट में तदखीलदार ककी द्वारा कथन किया गया है कि न्यायालय के आदेश की पालना में मौका देखा गया एवं बारी का कथन रद्द है कि में विभाजन प्रस्ताव नहीं बनवाना चाहता हू तथा न्यायालय से अनपना मुकदमा वापस ले लूंगा।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं तदखीलदार ककी की रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते हैं कि उक्त वाद विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा तदखीलदार ककी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खतरा न. 151 का विभाजन</p>	

8

फर्द अहकाम

न्यायालय

सहायक कलक्टर बस्सी जं. जयपुर

गौश नारायण बनाम अर्जुन

मुकदमा संख्या / वर्ष

38 / 20 22

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>करवाने हेतु मना किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राची विवादित मारानी का विमजग कराने की मंशा नहीं रखता है। अतः तदखिलकार बस्सी के पत्रांक 1572 दिनांक 26/03/25 के आधार पर वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फौजल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर है।</p>	

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर